

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

Email

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/क/46/1377

भोपाल, दिनांक 27.08.2019

प्रति,

श्री .....

पदनाम .....

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,  
मुख्यालय भोपाल


विषय:- मंगल फोन्ट में टंकण कार्य करने के संबंध में

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के शीघ्रलेखक, स्टेनोटाइपिस्ट तथा सहायक वर्ग-3 की नियुक्ति/पदोन्नति के लिये सेवा विनियम में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण होने की अनिवार्य अर्हता निर्धारित हैं। उक्त पदों के दायित्व के अन्तर्गत सभी प्रकार के फोन्ट में टंकण की योग्यता होना आवश्यक है।

यह देखने में आया है कि कई शीघ्रलेखक, स्टेनोटाइपिस्ट तथा सहायक वर्ग-3 संवर्ग के कर्मचारी "मंगल फोन्ट" में टंकण करने में असमर्थता व्यक्त करते हैं।

अतः समस्त शीघ्रलेखक, स्टेनोटाइपिस्ट तथा सहायक वर्ग-3 को सूचित किया जाता है कि "मंगल फोन्ट" में भी टंकण करना अनिवार्य है। यदि भविष्य में उक्त संवर्गों के किसी कर्मचारी द्वारा मंगल फोन्ट में टंकण करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है या इन्कार किया जाता है तो उनके विरुद्ध राज्य मंडी बोर्ड सेवा 1998 के अन्तर्गत दो वेतन वृद्धि रोकने की कार्यवाही की जाएगी।

(प्रबंध संचालक महोदय के निर्देशानुसार)


  
सहायक संचालक,  
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,  
भोपाल।

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/क/46/1378

भोपाल, दिनांक 27.08.2019

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
2. अपर संचालक, संयुक्त संचालक, अधीक्षण यंत्री, उप संचालक, कार्यपालन यंत्री (समस्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
3. संयुक्त संचालक, उप संचालक (समस्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ऑचलिक कार्यालय .....
4. भारसाधक अधिकारक/सचिव, (समस्त) कृषि उपज मंडी समिति, .....

  
सहायक संचालक,  
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,  
भोपाल।